न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या – 658/2002

सरकार बनाम श्यामबाबू आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांकित 08.08.2018

26.09.2024

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अभियुक्त श्यामबाबू द्वारा इस आशय से दिया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत किशोर घोषित किये जाने का प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.07.2018 यह कहकर खारिज कर दिया कि हाईस्कूल या उसके समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया है जबकि अभियुक्त ने ट्रांसफर सार्टिफिकेट व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त हाईस्कूल सार्टिफिकेट दिया गया है जिसमे अभियुक्त की आयु 01.04.1985 थी घटना वाले दिन वह अवयस्क था। न्यायहित में अभियुक्त को किशोर घोषित किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ अभियुक्त ने हाईस्कूल परीक्षा अंकपत्र व शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु वादी को नोटिस भेजी गयी थी परन्तु नोटिस पर दी गयी आख्या के अनुसार वादी की मृत्यु हो गयी है। अभियोजन द्वारा प्रार्थनापत्र के विरूद्व लिखित आपत्ति नही दी गयी केवल मौखिक आपत्ति की गयी है।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट हुआ कि वादी जग्गू ने अभियुक्तगण विक्की व श्यामबाबू के विरूद्व इस आशय की तहरीर थाना सचेण्डी में दिनांक 03.4.2000 को दी थी कि आज उसकी लड़की पीड़िता उम्र 12 वर्ष को गांव के विक्की व श्यामबाबू बहला फुसलाकर मारूती में बैठाकर भगा ले गये। उक्त के आधार पर विक्की व श्यामबाबू के विरूद्व मुकदमा अपराध सख्या 58/2000 धारा 363,366 भा.द.स. पंजीकृत हुआ था। पीड़िता की बरामदगी व बयान के पश्चात विवेचक ने धारा 376 भा0द0स0 की बढ़ोत्तरी करते हुए श्यामबाबू व राम नरायन के विरूद्व धारा 363,366,376 भा.द.सं. आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

दिनांक 19.11.2003 को अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 363,366,376 भा.दं.स. आरोप विरचित किया गया था। पुनः दिनांक 01.09.2011 को अभियुक्तगण राम नरायन के विरूद्व धारा 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आरोप अलग से विरचित किया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त श्यामबाबू द्वारा इसके पूर्व भी 67क प्रार्थनापत्र स्वयं को प्रश्नगत मामले में किशोर घोषित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था जो मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.18 को खारिज किया गया।

आवेदक द्वारा दुबारा प्रश्नगत आवेदन स्वयं को किशोर घोषित किये जाने के बाबत प्रस्तुत किया गया। पूर्व प्रस्तुत आवेदन व पूर्व आदेश दिनांक 30.07.18 को अवलोकित करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अपने

पूर्व प्रार्थनापत्र में भी अपनी आयु 01.04.1985 ही दर्शित की थी पुनः दुबारा प्रस्तुत आवेदन में भी अपनी आयु वही 01.04.1985 दर्शित की है।

घटना दिनांक 03.04.2000 की है। उक्त समय पर घटित घटना के बाबत The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 अथवा The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 का प्रावधान लागू न होकर जूविनाईल जस्टिस एक्ट 1986 के प्रावधान लागे होगे क्योंकि The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 एक्ट पर मुद्रित तिथि के अनुसार वह दिनांक 28 फरवरी 2001 को गजट हुआ था तथा The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 के प्रस्तावना में किये गये उल्लेख के अनुसार जूविनाईल जस्टिस एक्ट 1986 पूर्व से प्रभाव में थी।

पत्रावली वर्ष 2002 की अति प्राचीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान में सम्मिलित है। अभियुक्त श्यामबाबू की उम्र निर्धारण के संबंध में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.18 को समुचित आदेश पारित कर दिया गया है। यदि अभियुक्त उक्त आदेश से क्षुब्ध था तो उसे उक्त आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना प्रस्तुत करना चाहिए था अथवा विधि के समयावधि के अन्दर रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत करना चाहिए था। पुनः दुबारा अभियुक्त श्यामबाबू की उम्र के संबंध में विधिमत देना प्रॉगन्याय के सिद्वान्त से बाधित होगा।

आवेदक/अभियुक्त श्यामबाबू द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के जरिये एक्शन प्लान से संबंधित प्रश्नगत मुकदमे की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रावली में सभी गवाही हो चुकी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में न्यायालय का मत है कि प्रार्थनापत्र दिनांकित 08.08.2018 पोषणीय नही है, खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र दिनांकित 08.08.2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता 09.10.2024 को पेश हो।

(सुदामा प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)
कानपुर–नगर
26.09.2024

Digitally signed by SUDAMA PRASAD
Date: 2024.09.27 17:16:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court